मीरजापुर पुलिस —प्रेस नोट—

दिनांक: 08.04.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत लोक सेवक के आदेश का उल्लघन के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल पिरक्षेत्र मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म पिरवर्तन ,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना जमालपुर पर लोकसेवक के आदेश का उल्लघन के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक उपनिरीक्षक इन्द्रभुषण मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार- आरक्षी प्रदीप कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)-01 मीरजापुर द्वारा थाना जमालपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-76/2019 धारा 188 ,278 भाविद से सम्बंधित अभियुक्त मीनादेवी पत्नी मुरहा निवासी जमालपुर थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दिण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी॥